27.1.2021 | वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली के बहस उभय पक्ष वकील सुनी जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के फल शुमार होकर नम्बर से कम होकर हमरिश्ता दावा रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.19 10:21:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
09 / 2020	2019 / 00001	02.01.2019

1. अतीक पुत्र अब्दुल रहीम आयु 35 साल जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार तहसील करौली जिला करौली राज0
2. हलीम पुत्र रहीम आयु 45 साल जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार तहसील करौली जिला करौली।

—वादी

बनाम

1. अब्दुल रहीम पुत्र रहमत आयु 65 साल जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार तहसील करौली जिला करौली।
2. तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) तहसील करौली जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णय:

दिनांकः 27.1.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायलान की पुस्तैनी दादा स्व0 रहमत पुत्र अहमद की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2569 लगायत 2580 कुल किता 12 कुल रकवा 2.00 वीधा 0.19 विस्वा पटवार हल्का नम्बर 08 करौली में स्थित है। जिसमें सायलान व दीगर सहखातेदारान का कच्चा मुताविक हिस्सा अपने—अपने हिस्से पर चला आ रहा है तथा सायलान अपने हिस्सें की आराजी को शांति पूर्वक कल्ला काश्त करते चले आ रहे है परन्तु दिनांक 02.03.2020 को दीगर लोग आराजी पर आए तथा कहने लगे की हम तुम्हारे हिस्से की भूमि को तुम्हारे पिता अब्दुल रहीम पुत्र रहमत से खरीद रहे है तव सायलान द्वारा करौली में आकर जमाबन्दी उक्त नम्बरान की नकल निकाल वायी तो सायलान को पता चला कि उक्त पुश्तैनी आराजी में हमारे दादा स्व0 रहमत पुत्र अहमद की खातेदारी की भूमि का नामान्तकरण हमारे पिता अब्दुल रहीम पुत्र रहमत के नाम खुल चुका है। तथा इसी पेपर का लाभ उठाकर हमारे पिता हमारे दादा की भूमि को दीगर लोगो को बेचने पर आमादा है तथा हमारे पिता द्वारा हम वादीगण को हमारे दादा की पुश्तैनी आराजीयात में हिस्सा देने से दिनांक 02.03.2020 को साफ इंकार कर दिया जो सायलान के हक हकूको पर भारी कुठाराधात है। उक्त आराजी दादा की खातेदारी की में हम सायलान का कानूनन हिस्सा है सायलान अपने दादा की आराजीयात मे पूर्ण अधिकार रखते है। गैर सालन न01 सायलान को दादा की आराजीयान म प्रा[illegible] हकूको से वांछित कर सम्पर्ण भूमि को बेचने पर आमादा है सायलान को अपूर्णीय क्षति [illegible] है। इसलिए सायलान तारीख फैसला द्वारा गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible]लान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.19 10:21:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गैर सायलान न01 ने उपस्थिज्ञत होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि दावा सायलान वहुत ही लचर है और खारिज किये जाने योग्य है। सायलान का विवादित जमीनों से किसी तरह का कोई ताल्लुक नही है। ना तो सायलान के खातेदारी हकूक है ना ही सायलान काबिज है। दिनांक 02.03.2020 की कहानी गलत दर्ज की है गैर सायलान न01 को तंग व परेशान करने को यह दावा कर दिया है मुझे अपने खाते व कच्चे काश्त की आराजी का अपने अनुसार उपयोग करने रहन मय करने का पूरा अधिकार है विवादित जमीन मुझ जबाबदार के खातेदारी में वतायी गयी है जबकि मेरे अलावा पांच हिस्सेदार और है मेरा 1/6 हिस्सा है जिसे सायलान ने छिपाया है। जमीन के सहखातेदार सलीम,सलाम, कलाम इकराम कयाम खा व केता गण सोहिल शानू शाहरूख आमिर खा भी विवादित जमीनों में सहखातेदार है जिनको सायलान ने पक्षकार नही बनाया है। जमीन सायलान की पुश्तैनी होने का कोई रिकार्ड दावे मं पेश नही किया है पक्षकरान जाति से मुसलमान है और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार पिता के जीवित रहते हुए पिता की जायदाद में लडके लडकियों के कोई की हकूक नही होते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पक्षकरान पर लागू नही होते है। दावे में कोई सजरा पेश नही किया है मुझ जबावदार की चार जीवित लडकिया हलीमा,अन्जुम,अतीका,और अमरीन है जो दावे में अव सभी पक्षकार है ज़मीन मुझ जबावदार की मेरे भाईयों के साथ शामलाती खाते की है। मुझे अपनी जमीन का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि मुझे किसी तरह से पाबन्द किया गया तो मुझे बडी हक तलफी होगी। जिसे जरिये नगद पूरा नही किया जा सकता सुविधा का संतुलन भी मुझ जबावदार के पक्ष में अतः में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान न02 द्वारा कोई जबाव पेश नही किया है।

वहस वकील पक्षकारान का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2072से 2075 में वाद ग्रस्त आराजीयात सायलान के पिता गैर सायलान न01 के खातेदारी में दर्ज होना भूमि पुश्तैनी होना अभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। अभयपक्ष के मध्य खातेदारी धोषणा का सदभावी विवाद है जिससे प्रथम सायलान के हक में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीयक्षति वादगस्त आराजीयात की यथा स्थिति बनाये रखने उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादगस्त आराजीयात खसरा नम्बर 2569 लगायत 2580 कुल किता 12 कुल रकवा 2.00 वीधा 0.19 विस्वा पटवार हल्का न08 करौली तहसील करौली जिला करौली को रहन वय नही करें मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.19 10:21:48 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner